

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण




अर्जूनराम वगैरह

मुकदमा नं. 159 / 2019

वादी
नाम

बनाम

प्रकरण : राजस्व वादपत्र

रेख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा को जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। पत्रावली वर्तमान में प्रतिवादीगण की तलबी स्तर पर लम्बित चल रही है तथा वकील वादी को प्रकरण में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सीपीसी प्रावधानुसार भी अवसर दिये गये है। वकील वादी ने जाहिर किया कि वादी वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः वाद पत्र जरिये विड्रॉल खारिज किया जावे।</p> <p>अतः वादपत्र अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	<p style="text-align: center;"> डा. अ. सोनी श्री. अ. सोनी</p> <p style="text-align: center;"></p>